उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
संख्या-57/2016/2604/92-1-2016-51(अधि0)/2015,
लखनऊ: दिनांक: 19 अगस्त, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

समता समिति उ0प्र0 (1989) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग के अन्तर्गत विभिन्न पदों पर पुनरीक्षित वेतनमान की स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-71/77/38-9-92-93एम/89, दिनांक 29-12-92 एवं संगत अन्य शासनादेशों के प्राविधानों के परिप्रेक्ष्य में गठित 'समिति' की संस्तुतियों के अनुक्रम में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अधोतालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित अधिशासी अभियंताओं को 16 वर्ष की सेवा के उपरान्त तालिका के स्तम्भ-4 में उल्लिखित तिथि से स्तम्भ-5 में उल्लिखित द्वितीय चिन्हित वैयक्तिक वेतनमान (रू0 3700-5000) अनुमन्य कराये जाने/न कराये जाने की श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	अधिशासी अभियंता पद पर 16 वर्ष की सेवा पूर्ण होने/ द्वितीय चिन्हित वैयक्तिक वेतनमान की देयता की तिथि	16 वर्ष की सेवा के उपरान्त द्वितीय चिन्हित वैयक्तिक वेतनमान अनुमन्य किये जाने की तिथि/वेतनमान
1	2	3	4	5
1	श्री अरूण कुमार अग्रवाल	अधि. अभि.	12-10-95	श्री अग्रवाल की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियां अपूर्ण होने के कारण इनका प्रकरण स्थगित रहेगा।
2	श्री सदरूद्दीन (सेवानिवृत्त दि 31-07-13)	अधि. अभि.	30-04-95	सदरूद्दीन की सेवायें संतोषजनक न होने के कारण उन्हें द्वितीय चिन्हित वैयक्तिक वेतनमान रू0 3700-5000 अनुमन्य कराये जाने का औचित्य नहीं पाया गया।

महेश कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव।

संख्या-57 /2016/2604(1)/92-1-2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3- वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- मुख्य अभियंता (पूर्वी/पश्चिमी), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
6- संबंधित अधिशासी अभियंता द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रा0अभि0विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राम रतन)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in